न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 111/2016

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रमोद कुमार पुत्र श्री हंसराज जाति अग्रवाल निवासी 62 पी. ब्लाक श्रीगंगानगर

.... वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री चन्दू लाल जाति अग्रवाल निवासी 17 इण्डस्ट्रियल ऐरिया लकड़ मण्डी श्रीगंगानगर
2. सुदेश पुत्र श्री चन्दू लाल जाति अग्रवाल निवासी 17 इण्डस्ट्रियल ऐरिया लकड़ मण्डी श्रीगंगानगर
3. दिनेन्द्र कुमार पुत्र श्री बिहारी लाल जाति अरोड़ा निवासी 164 इन्द्रा कालोनी श्रीगंगानगर
4. सन्दीप कुमार पुत्र बाबू राम जाति अरोड़ा निवासी 1 एफ 18 जवाहर नगर श्रीगंगानगर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–अधिवक्ता श्री मोहन लाल माहर वादी

प्रतिवादी संख्या 3 को वाद पत्र से डिलिट किया गया एवम् प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादी का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक मे व्यवहार संहिता के आदेश 6 निलयम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियों मे शपथ पत्र से समर्थित प्रस्तुत किया जा रहा है। वाके चक 4 एम. एल. के मुश्तरका खाता के खाता संख्या 72/76 के भिन्न भिन्न मुरब्बा मे मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20–21 सालम – 2 रकबा जमाबन्दी 2048 मे खातेदारी दर्ज था । खातेदार रेशमी देवी वगैरा अपना हिस्सा चन्दूलाल पुत्र बींझ राज तथा सुदेश कुमार पुत्र चन्दू लाल को जरिये बैयनामा दिनांक 28–03–2000 को बैय किया गया । उपरोक्त प्रश्नगत आराजी के खरीददार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादी को दिनांक 03–06–2000 को जरिये पंजीबद्ध बैयनामा से आराजी वाके चक 6 ई. छोटी के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 2–21 कुल 2द 00 बीघा मे किला नम्बर 20 का हस्तांतरण किया तथा बैय के रोज से किला नम्बर 20 का कब्जा मौका पर संभला दिया। वादी द्वारा खरीद शुदा किला नम्बर 20 का अमल दरामद करते समय इन्तकाल संख्या 374 मे मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20/11 का केवल 0.109 हैक्टेयर ही दर्ज किया गया जबकि किला नम्बर 20 सालम खरीद किया गया था । वादी द्वारा खरीद शुदा मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 मे से 0.130 हैक्टेयर रकबा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने बेचान जरिये बैयनामा दिनांक 11–05–2007 को किया गया । जिसका राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

मे अमल दरामद जरिये इन्तकाल संख्या 447 दिनांक 25–02–2014 को किया गया जो भी विधि विरूद्ध किया गया। वादी द्वारा प्रश्नगत आराजी मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 सालम खरीद किया गया था। सहवन से प्रथम इन्तकाल संख्या 374 जो 0.109 हैक्टेयर दर्ज किया तदुपरांत द्वितीय इन्तकाल संख्या 447 भी विधि विरूद्व दर्ज किया है। जिनकी दुरूस्ती हेतु वादी प्रतिवादी संख्या 5 से दिनांक 17–06–2016 को मिला तो वे कतई इन्कार हो गया, यहीं वाद कारण है। वादी सद्भावी रूप से प्रश्नगत आराजी का खरीददार है। वादी द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 03–06–2000 को मुरब्बा नम्बर 34 का किला नम्बर 20 सालम खरीद किया था। बैय के रोज से सालम रकबा का कब्जा भी प्राप्त किया था । रास्ता की आराजी को छोड़ कर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3–4 को केवल 0.130 हैक्टेयर आराजी का हस्तांतरण किया गया है। इस प्रकार शेष आराजी 0.119 हैक्टेयर वादी के कब्जे काश्त मे है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही होने से प्रतिवादीगण बेदखल करने पर उतरू है। इसलिये वादी इस आराजी की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 वादी के कब्जा काश्त मे ना तो स्वयं और ना ही अपने रिश्तेदार के माध्यम से बेदलखल ना करे । प्रतिवादीगण संख्या 5 मुश्तरका धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रश्नगत कृषि भूमि चूंकि श्री मान जी के क्षेत्राधिकार मे होने वाद पत्र श्री मान जी के सुनवाई योग्य एवम् उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः वाद वादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद पत्र निम्न प्रकार से सादर डिग्री फरमाया जावे :–

(क) वाके चक 6 ई. छोटी के मुरब्बा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 सालम को बैयनामा दिनांक 03–06–2000 के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर इन्तकाल संख्या 374 को संशोधित किया जावे।

(ख) प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी द्वारा 0.130 हैक्टेयर कृषि भूमि बेचने के उपरांत रास्ते की कृषि भूमि छोड़ कर 0118 हैक्टेयर कृषि भूमि पर वादी के कब्जे काश्त मे नातो स्वयं एवम् ना ही अपने रिश्तेदार व दोस्तों के माध्यम से मदाखलत बेजा नही करें ।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कानूनन वाजिब हो ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 को वाद पत्र से डिलिट किया गया एवम् प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी की मुख्य बहस यह रही कि वादी सद्भावी रूप से प्रश्नगत आराजी का खरीददार है। वादी द्वारा जरिए बैयनामा दिनांक 03.06.2000 को मुरबा नम्बर 34 का किला नम्बर 20 सालम खरिद किया था। बैय के रोज से सालम रकबा का कब्जा भी प्राप्त किया था। रास्ता की आराजी को छोड कर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को केवल 0.130 हैक्टर आराजी का हस्तांतरण किया गया है। इस प्रकार शेष आराजी 0.119 हैक्टर वादी के कब्जे काश्त में है लेकिन राजस्व रिकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से प्रतिवादीगण बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए चक 6 ई छोटी के मुरबा नम्बर 34 के किला नम्बर 20 सालम को बैयनामा दिनांक 03.06.2000 के आधार पर खातेदार घोपित किया जाकर इन्तकाल संख्या 374 को संशोधित किया जावे। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद में अनुतोषिक भूमि किस खातेदार की भूमि में से कम की जाकर वादी को उसका खातेदार घोषित किया जावे यह साबित नहीं किया गया है। जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 17.01.2025 को जारी या जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner